

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमेनशिप में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफ़ेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य |
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No.11110/2023 SHRI ABHISHEK JAIN, R/o A- 12, Ashok Vihar, Ujjian, District- Ujjian (MP)-456001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 26(26/2)), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [434817] [DEIAA] (B2).

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत दिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक अभिशेक जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अभिशेक जैन निवासी ए 12 अशोक विहार, जिला उज्जैन म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	26 (26/2) (नॉन फॉरेस्ट लैंड) शासकीय भूमि	1.0 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम भांकरपुर, तहसील व जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 590 /खनिज / 2016–17, दिनांक 09.03.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/1114 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा पत्थर-6000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-6000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 6000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 917 /खनिज /2022–23 दिनांक 06.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 917 /खनिज /2022–23 दिनांक 06.04.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 917 /खनिज /2022–23 दिनांक 06.04.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका निगम उज्जैन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 927 दिनांक 06.12.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान में कुल 15 पेड़ हैं इनमें से कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अन्दर साईट ऑफिस है। दक्षिण दिशा – पक्के आवासीय मकान 80 मीटर पर एवं एमपीबी पॉवर स्टेशन 181 मी. पर है
प्रस्तावित खदान की	पूर्व दिशा – 160 meter पर हॉल रोड दिखाई देता है, 140 meter पर शेड है

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 43 के सिरियल क्रमांक— 13 पर दर्ज है ।
-----------------------------------	--

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेसिंग अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई।
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	–
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्यों हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं
कोई अन्य शर्त	–

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

**2. Case No.11108/2023 SHRI JAVED KHAN, R/o 43 Aasif Ali Gali
MahidpurDistrict-Ujjain (MP)-456443. Prior Environment Clearance for Stone
Mine in an area of 1.00 ha. (5130 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Kukani,
Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP) [435858] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक जावेद खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	जावेद खान निवासी 43 आसिफ अली गली, महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	44 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.0 हेक्टरेर निजी भूमि hectare.	
स्थल	ग्राम कुकनी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 406 / खनिज / 2016-17, दिनांक 25.12.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2016/1202 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा पत्थर-5130 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5130 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5130 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10001 / खनिज / 23-24 दिनांक 11.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 है. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10001 / खनिज / 23-24 दिनांक 11.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

तहसीलदार अनापत्ति	की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10001/खनिज/23—24 दिनांक 11.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तुकनी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Nill दिनांक 28.01.2008 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – 50 meter पर अस्थायी ऑफिस बनाया गया है उत्तर पूर्व दिशा– 71 मी. आस्थाई शेड दक्षिण पूर्व दिशा– 10मी. हालेज रोड पश्चिम दिशा – 145 meter पर पक्की रोड जा रही है 55 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 43 के सिरियल क्रमांक– 03 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। लगभग 50 प्रतिशत
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। लगभग 40 प्रतिशत
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में	अवलोकित नहीं हुई।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

बैंचेस की स्थिति।	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11,30,000 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3,08,000 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम कुकनी के विधालय में अधोसंरचना विकास वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
2	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. Case No.11112/2023 SHRI SANJAY GOUD, R/o 1/3, Radha Ganj Dewas, Tehsil & District-Dewas (MP)-455001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.70 ha. (21298 cum per year) (Khasra No.431, 432/2, 433, 442, 443), Village-Merkhedi, Tehsil-Dewas (MP) [437465] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/24 को परियोजना प्रस्तावक **SHRI SANJAY GOUD online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANJAY GOUD, Lessee, R/o- 1/3, Radha Ganj Dewas, Tehsil & District-Dewas (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	431, 432/2, 433, 442, 44 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड भू—स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.70 hectare.
स्थल	Village Merkhedi, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 961 दिनांक 02/06/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 01/06/16 के द्वारा पत्थर-21,298 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-21,298 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-21,298 घनमीटर / वर्ष है।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 24/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 24/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 24/11/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नापाखेड़ी जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/05/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के आसपास निजी भूमि पर किसानों के 3 गढ़े हैं। दक्षिण दिशा— शेड — 268 मी. पूर्व दिशा— कच्चा रोड 10 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 40 मी. का सेटबेक छोड़ गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अंतर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर / वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.89 लाख प्रति वर्ष।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू—प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित मार्झिन प्लान में समावेश किया जावे।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित मार्झिन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
8. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मार्झिन आधारित क्षेत्र प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मे रखेड़ी स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	80,000/-

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3240 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	आवलॉ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	860पौधे
2	गैर खनन क्षेत्र में पौधरोपण	आवलॉ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	60 पौधे
3	परिवहन मार्ग में	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	70 पौधे
4	ग्राम मेरखेड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200 पौधे
	कुल वृक्षारोपण		3240 पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोर्ड इ कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्पीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

**4. Case No.11111/2023 SHRI BALRAM BANJARA, R/o Village -
Kundkheda,Tehsil-Manasa,District-Neemuch (MP)-458110. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 433), Village-Khetpaliya, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) [437582] [DEIAA] (B2)**

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

5. Case No.11109/2023 SHRI NAND KISHORE PORWAL, R/o GRAM-ANTRI BUZURG TEHSIL-MANASA, DISTRICT-NEEMUCH (MP)-458115. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 0.85 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 426), Village-Choplana, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) [443858] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/24 को परियोजना प्रस्तावक **SHRI NAND KISHORE PORWAL, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri NAND PORWAL, Owner, GRAM-ANTRI BUZURG TEHSIL-MANASA, DISTRICT-NEEMUCH (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	426 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.85 hectare.
स्थल	Village; Chaplana, Tehsil; Manasa, District: Neemuch, (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 538 दिनांक 28/04/22 के द्वारा नवीनीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—5000 घनमीटर/वर्ष है।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 18/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.85 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 18/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 18/08/23 अनुसार लगभग 500 की परिधि में शैक्षणिक संस्थान स्थित है, शेष अन्य मीटर 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं .
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 25 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित मार्झिनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

6. Case No.11103/2023 SHRI BALRAM PATIDAR, R/o Village Pipalkhut, Tehsil Mhow, District Indore (MP)-453441. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No.13/7/2), Village-Pipalkhut, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP) [446853] [DEIAA] (B2)

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. Case No.11113/2023 SHRI ANKUSH JAIN, R/o 1/3,69 Kalidas Marg Maxi Road, District Ujjain (MP)-456001. Prior Environment Clearance for Murum Mine in an area of 1.64 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 463/1), Village-Tajpur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [449792] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक अकुंश जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अकुंश जैन निवासी मक्सी रोड तह. व जिला उज्जैन	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	463/1 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.640 निजि भूमि	hectare.
स्थल	ग्राम ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 1744 / खनिज / 2018-19, दिनांक 24.09.2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है । रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2018/63 दिनांक 05.10.2018 के	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

विवरण (यदि लागू हो)	द्वारा पत्थर— 5000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23—24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में Nil अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 1.640 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23—24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र रिथ्त नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र रिथ्त नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23—24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ताजपुर जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु. /पंचा/18 दिनांक 24.07.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 34 मी. पर इलेक्ट्रिक टावर है एवं 104 मी. पर कच्ची रोड है दक्षिण दिशा — 195 मी. पर इलेक्ट्रिक टावर है पश्चिम दिशा — 390 मी. पर कच्ची रोड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 65 के सिरियल

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

में स्थिति	क्रमांक— 77 पर दर्ज है ।
------------	--------------------------

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई । लगभग 40 प्रतिशत
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में पेड़ नहीं लगे हैं ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्तर दिशा में लगभग 34 meter पर इलेक्ट्रीक टावर है एवं हाई टेंशन लाईन निकल रही है तथा इस संबंध में एम.एम. आर.1996 नियम में कोई गाईडलाईन नहीं प्रदाय की गई है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एमपीईबी से अभिमत प्राप्त करेंगे कि कितनी दूरी तक सुरक्षित दूरी छोड़ना ठीक होगा जिससे कि इलेक्ट्रिक टावर एवं हाई टेंशन लाईन में कोई क्षति न पहुँचे

8. Case No.11107/2023 SHRI ANIL RATHORE, R/o gram jainabad tahsil and district-burhanpur (MP)-450331. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.90 ha. (10260 cum per year) (Khasra No. 159/2), Village-Mordad, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP) [450733] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक अनिल राठौर एवं उनके

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अनिल राठौर पिता श्री कडू राठौर निवासी – जैनाबाद तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 159/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	क्षेत्रफल – 1.90 हेक्टेयर Revised Area – 1.30ha
स्थल	ग्राम – मोरदडखुर्द तहसील – बुरहानपुर जिला – बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश ।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 6412/खनिज/2017 बुरहानपुर दिनांक 13/09/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/8871/खनिज/2017 बुरहानपुर दिनांक 29/12/2017 के द्वारा पत्थर – 10260 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10260 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10260 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं ।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुखपुरी जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/07/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-08 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई । लगभग 30 प्रतिशत
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित मार्ईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .15 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व – कच्ची रोड 120 मी. एवं एक कच्ची रोड 20 मी. – 30 मी. के सेड में प्रस्तावित किया है । अतः खनन योग्य क्षेत्र 1.33 है. उपलब्ध होता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 10260 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.55 लाख प्रति वर्ष ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

3. पिटस में बैंचेस / बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
7. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
9. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
10. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक शाला मोरदडखुर्द में 10 कुर्सियां की व्यवस्था	25,000
मोरदडखुर्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
कुल	50,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं	600

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

अन्य स्थानीय प्रजातियां			
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
Total			1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

9. Case No.11104/2023 SMT. LATA MERAWAT, R/o Gram Khachartodi, post-Panchkui, khachhartodi, District- Jhabua (MP)-457779. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.80 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Bheem Faliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP) [451962] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/4/2024 को परियोजना प्रस्तावक LATA MERAWAT ONLINE एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवेयरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	LATA MERAWAT, lease owner, R/o- Gram Khachartodi, post-Panchkui, khachhartodi, District- Jhabua (M.P.)

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	38 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.80 hectare.
स्थल	Village -Bheemfaliya, Tehsil and District -Jhabua,(M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक 7100-01 खनिज/न.क.01/उ0प0/ग्रुप-01/2021, भोपल दिनांक 17/06/21 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 51 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-5,700 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 03.41 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 717 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वजनिक संस्थान, धार्मिक स्थल में स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भीमफलिया जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 15/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
प्रस्तावित स्थल पर	Total Tree in lease area- 12 Tree Felling - 06	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Additional tree to be planted -60
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्की सड़क 60 मीटर पूर्व दिशा में मानव बसाहट 353 मीटर पर दक्षिण पूर्व दिशा में पक्का रोड 140 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि पक्का रोड उत्तर दिशा में 60 मीटर एवं दक्षिण पूर्व दिशा में पक्का रोड 140 मीटर पर स्थित है। स्थानवार मापदण्ड अनुसार सेटबेक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर मार्झिनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित मार्झिनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

10. Case No.11102/2023 SHRI PIYUSH CHANDEL, R/o Bishhsn Road, Khargone , District - Khargone (MP)-464001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

an area of 1.00 ha. (8550 cum per year) (Khasra No. 05, 07), Village-Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) [453061] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Piyush Chandel Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SHri PIYUSH CHANDEL, Owner, Bishhsn Road, Khargone, District - Khargone (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	05 & 07 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village-Mominpura, Tehsil & District- Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 436 दिनांक 19/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8,550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-8,550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 45 दिनांक 11/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 02.315 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 45 दिनांक 11/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 45 दिनांक 11/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिनखेड़ा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 02 / 11 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 229 दिनांक 04 / 05 / 23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशसित किया जाये ।</p>

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान शासकीय भूमि आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 411 मीटर पर 02 शेड है, पूर्व-पश्चिम की ओर एक रोड़ निकल रहा है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलीज रोड़ एवं परिवाहन मार्ग है, खदान क्षेत्र 02 भागों में है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि न्यूनतम 1.0 है. तक का नियम होने के कारण लीज 02 भागों में स्वीकृत की गई ।

परियोजना प्रस्तावक ने समिति को प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ में प्रस्तावित खदान के कानोलॉजी प्रस्तुत की गई है:-

Sr. No	Activity	Date
01	Previously Submitted (Case No. 9957/2023)	26.05.2023
02	SEAC Recommended the case on Agenda No. 653	15.06.2023
03	Case sent to SEAC for reexamination in 794 SEIAA meeting	28.06.2023
04	SEAC Again Recommended the case on Agenda No. 665	03.08.2023
05	Case Rejected by SEIAA in Agenda no. 802	24.08.2023
06	SEIAA Recommended to Re-Apply the case	08.11.2023
07	Re-Applied the Proposal on Parivesh Portal	27.12.2023

प्रकरण का परीक्षण

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- पूर्व में इसी प्रकरण को सेक द्वारा प्रकरण क्रमांक **9957/2023** में समिति की पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था ।
- सिया ने पत्र क्रमांक 834 दिनांक 10/07/23 के द्वारा समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया था कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान 1.315 हैं की स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है, लेकिन अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश—देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों भी परिलक्षित हैं, जिससे उक्त प्रकरण में कलस्टर (5 हे. क्षेत्र से अधिक) बी—1 की श्रेणी में प्रतीत होता है ।
- परियोजना के सलाहकार ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 770 दिनांक 11/07/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक अन्य खदान जिसका क्षेत्रफल 1.315 है. है का कुल क्षेत्रफल 4.30 है. होता है जो कि 5.00 है. से कम है, अतः इसको बी—2 श्रेणी में मान्य किया जाना उचित होगा । तदनुसार समिति द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुशंसा के अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।
- खदान के आसपास अन्य खदानों एवं सड़क मार्ग है जिसके कारण पूर्व में सिया द्वारा ई.सी. निरस्त कर दी गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 772 दिनांक 11/07/2023 दिया गया जिसमें 500 मी. की परीधि के अन्दर दो अन्य खदानों 3.315 हेक्टेयर व इनकी 1.00 हेक्टेयर को मिलाकर भी कुल रकबा 5 हेक्टेयर से कम है तथा खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 1571 दिनांक 21/11/2023 में स्पष्ट किया गया है कि जो सड़क खनन क्षेत्र से गुजर रही है वह हालेज सड़क है उसपर आम नागरिकों का आवागमन नहीं होता है । इनके द्वारा बताया गया कि अपना हिस्सा रु. 3.00 लाख ई.एम.पी. में जोड़ा दिया गया है । अतः प्रकरण में समिति द्वारा पूर्व में दी गई अनुशंसा यथावत् रहेगी ।

अनुशंसा :— पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 में प्रकरण क्रमांक **9957/2023** में लिए गए निर्णय अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

11. Case No.11105/2023 SHRI RAJESH TIWARI, R/o Village- Sanawadiya, Tehsil & District-Indore (MP)-452016. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.30 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 230), Village-Sanawadiya, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [454339] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAJESH TIWARI, Lessee, Lessee, R/o-Village- Sanawadiya, Tehsil & District-Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	230 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.30 hectare.
स्थल	Village Sanawadiya, Tehsil Indore, District Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 27/10/16 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 186 दिनांक 23/11/16 के द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 21/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. के प्रमाण-पत्र क्रमांक 1092 दिनांक 09/02/18 अनुसार 2.10 कि.मी. की परिधि में रालामण्डल अभयारण्य स्थित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा सशर्त अनुमति दी गई है।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

अनापत्ति	क्रमांक 2012 दिनांक 21 / 09 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सनावदिया जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 05 / 11 / 16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 120 मीटर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में 157 मीटर पर शेड्स परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह खदानों के साइट ऑफिसेस एवं लेबर रूम्स बने हुए हैं जिनके छायाचित्र प्रस्तुत किये गए । दक्षिण दिशा—खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा एवं उत्खनिपट्टे में से पट्टाधारियों द्वारा निर्मित हॉल—रोड स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा में – फायर रेंज 180 मी. की दूरी पर— 20 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है। 218 मीटर पर एक मंदिर है व खदान के आसपास शेड हैं वह मजदूरों के हैं ।
	उत्तर दिशा में 120 मीटर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में 157 मीटर पर शेड्स परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह खदानों के साइट ऑफिसेस एवंलेबर रूम्स बने हुए हैं जिनके छायाचित्र प्रस्तुत किये गए ।
	दक्षिण दिशा—खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा एवं उत्खनिपट्टे में से पट्टाधारियों द्वारा निर्मित हॉल—रोड स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-49 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेप्ड हेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। लगभग 15 प्रतिशत
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ लगाये गये एवं 150 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राला मण्डल अभ्यारण्य के संबंध में NBWL से अनापत्ति प्राप्त की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.63 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्षेत्र प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू—प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

9. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
10. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है ।
11. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम सनावदिया में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रयोगशाला के विकास हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	60,000/-

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1610 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, कालासिरिस, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, चिरोल, सफेद सिरिस, पीपल आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	600पौधे
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	100 पौधे
3	ग्राम सनावदिया के मंदिर परिसर में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50 पौधे
4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	860पौधे
कुल वृक्षारोपण			1610 पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. Case No.11106/2023 SHRI RAJIV SHARMA, R/o Village & Tehsil- Pathar, District- Vidisha (MP)-464337. Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 3.13 ha. (8640 cum per year) (Khasra No. 11/1, 7/4), Village-Ramgarh, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP) [435346] [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक ऋचा सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स In Situ Enviro Care, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	राजीव शर्मा पुत्र श्री गजेंद्र शर्मा ग्राम एवं तहसील पठारी, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.130 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम -रामगढ़, तहसील - पठारी, जिला - विदिशा (मध्यप्रदेश)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 1080/ खनिज / ३.प. /2016 विदिशा, दिनांक 23/08/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	यह फर्सी पत्थर खदान है इसलिए ब्लास्टिंग का प्रस्ताव नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया द्वारा ईसी प्राप्त (नया प्रोजेक्ट) ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 857/ खनिज / डिया /2018 विदिशा, दिनांक 03/10/2018 के द्वारा फर्सी पत्थर-8640 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	8640 घनमीटर / वर्ष (फर्सी पत्थर)	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	क्रमांक 1634 / (खनिज/2023 विदिशा, दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत होकर संचालित नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1634/(खनिज/2023 विदिशा, दिनांक 27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1634 / (खनिज/2023 दिनांक 27/06/2023 के पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/तालाब/ बांध/ स्टॉपडेर्म/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला विदिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू/पंचा/2017 दिनांक 24/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्षेत्र की स्थिति	उक्त खदान फर्सी पत्थर की है, क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – 170 मीटर की दूरी पर ग्राम- बाबाईकलां का टप्पा स्थित है। पश्चिम दिशा – 155 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 56 के सरल क्रमांक—68 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेप्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित मार्ईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा के एकल प्रमाण—पत्र के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत होकर संचालित नहीं हैं, का विवरण दर्ज है परन्तु गूगल ईमेज देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ खदाने संचालित हैं, इस संबंध में श्री अजय मोहन, पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स In Situ Enviro Care, Bhopal द्वारा अपने पत्र दिनांक 25/04/2024 के द्वारा प्रस्तुत किया कि 500 मीटर की परिधि में कोई भी खदाने संचालित होना परिलक्षित नहीं हुआ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8640 घनमीटर प्रति वर्ष है ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **5,84,235/-** लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **2,28,350/-** लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **50,000/-** तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रामगढ़ विद्यालय के विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में 3 माह के अंदर सहायता राशि प्रदान करना ।	50,000.00

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity (Numbers)
1	बैरिअर झोन में	नीम, खमेर, करंज, चिरोल, कचनार व स्थानीय प्रजाति आदि 4 पौधों के बीच में एक फलदार पौधे का रोपण किया जाएगा।	940
2	आवागमन सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण	काला सिरस, नीम, शीशम, करंज व स्थानीय प्रजाति आदि।	940
3	रामगढ़ स्कूल एवं ग्राम पंचायत के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	नीम, कदम, पीपल, करंज, अशोक एवं स्थानीय प्रजातियां।	960
4	रामगढ़ / बाबईकलां ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, सीताफल, मुनगा, नींबू, जामुन अमरुद, आंवला, अनार व स्थानीय प्रजाति आदि।	960
Total			3800

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

13. Case No.11097/2023 SHRI MAHENDRA SINGH, R/o House no 24, Vankhandi road, Near chambal colony, Shivnagar Morena, District- Morena (MP)-476001. Prior Environment Clearance for M.Sand Mine in an area of 2.340 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 1269P), Village-Ardauni, Tehsil-Bamor, District- Morena (MP) [454569] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री सत्यस्वरूप सिंह

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री सत्यस्वरूप सिंह म.न. 24, वनखेड़ी रोड, चम्बल कालोनी के पास, शिवनगर, मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1269 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.340 हे.
स्थल	ग्राम अरदौनी तहसील बामोर जिला मुरैना (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक 13110/खनिज/उ.प./न.क.02/2022, दिनांक 04/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग की जा रही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 40,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1091 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.340 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1091 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1091 दिनांक 29/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अरदौनी जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 25 दिनांक 16 / 08 / 2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ो का विवरण – 7 यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 7 प्रोसोपिस के पेड़ । काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 70 ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर पत्र क्रमांक खनिज/क्यू. एल.2091 दिनांक 29.11.2023 अनुसार इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 741वीं बैठक दिनांक 25 / 04 / 24 इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 40,000 मी.³
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 17.19 लाख — एवं रिकरिंग राशि रु. 3.69 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल अरदौनी के कमरों की अधोसंरचना विकास	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सीन	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल,	1500

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

		खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
2	अरदौनी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
3	शासकीय प्राथमिक स्कूल अरदौनी एवं ग्राम पंचायत भवन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No.11098/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP)-481661. Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.25 ha. (50721 ton per year) (Khasra No. 104), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [450617] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **SHRI VIBHOR AGRAWAL, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांगनीजैंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुएऔर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VIBHOR AGRAWAL, Proponent, M/s Salasar Minerals Prop: Vibhor Agrawal, 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	104 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड भू—स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.26 hectare.
स्थल	Village: Bhatiyatola, Tehsil- Nainpur, District-Mandla, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-3-98 / 1993 / 12 / 2 दिनांक 07 / 09 / 19 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 32 दिनांक 17 / 08 / 16 के द्वारा डोलोमाइट-51,219 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-50,721 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट-50,721 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 24 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 28.795 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 24 / 07 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। आवेतिद क्षेत्र स्थल आर.एफ.-57 की सीमा लाईन से 146 मीटर की दूरी पर स्थित है। पट्टेदार को उत्खनिपट्टा दिनांक 10 / 11 / 1993 से स्वीकृत है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-5 / 16 / 81 / 10-3 दिनांक 07 / 10 / 02 की कंडिका 2(छ:) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मीटर की दूरी में स्थित खनि रियायत के संबंध में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1237 दिनांक 24 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डलवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-15 दिनांक 02/02/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-70 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
- 23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
- 24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
- 25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दृष्टभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
36. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु/धूल प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. Wild life conservation plan

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. Case No.11099/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP)-481661. Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.82 ha. (35915 ton per year) (Khasra No. 101/1, 101/2, 101/3), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [450662] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **SHRI VIBHOR**

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

AGRAWAL, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स सालासर मिनरल्स निवासी - 7/101 सिविल लाइन्स, मंडला जिला मंडला (म. प्र.)	
खसरानं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	निजी भूमि	2.82 hectare.
स्थल	ग्राम भटिया टोला तहनैनपुर जिला मंडला(म.प्र.)	
लैज स्वीकृति	कार्यालय म. प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल पत्र क्र. एफ3-25/1994/12/2 दिनांक 07. 09. 19 के द्वारा लीज स्थानांतरण शेष अवधि दिनांक 04. 01. 2045 तक के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मंडला के पत्र क्रमांक 34 दिनांक 17. 08. 2016 के द्वारा पत्थर-35915 मीट्रिक टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 35915 मीट्रिक टन / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 35915 मीट्रिक टन / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 24. 07. 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में तेरह अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 28. 235 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 24. 07. 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र एवंवन क्षेत्र 242 मी परस्थितहै म. प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-5/16/81/10-3 भोपाल दिनांक 07. 10. 2002 की कंडिका 2(छ) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मी की दूरी में स्थित खनि रियायत में गटित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 24. 07. 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बाध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहींहै ।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायतमुग्दराजिलामंडलाके ठहरावप्रस्तावदिनांक02.02.2014अनुसारप्रस्तावितस्थलपर खनन् कार्य से पंचायतकोकोईआपत्तिनहींहै ।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree Felling – Additional tree to be planted -
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति	उत्तरादिशा—352 मी. बंजर नदी दक्षिणादिशा—242 मी. फारेस्ट पूर्वादिशा—260 मी. फारेस्ट पश्चिमादिशा—790 मी आबादी
प्रस्तावित खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.—37के सरलक्रमांक—29परदर्जहै ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्णभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
36. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू—जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. Wild life conservation plan

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- 16. Case No.11118/2023 Shri Sanjubala Tiwari, Lessee, R/o Village-Javi, Tehsil-Neemuch, District-Neemuch (MP)-458441. Prior Environment Clearance for Kuchdod Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 988/MIN-1, 1000), Village-Kuchrod, Tehsil-Jiran, District-Neemuch (MP) [437899] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

- 17. Case No.11116/2023 Shri Akash, Proprietor, R/o Gram 5 No Sirol, Post-Chhimak, Tehsil-Debra, District-Gwalior (MP)-475110, Prior Environment Clearance for Jakhauda Flagstone Mine in an area of 2.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 1816P), Village-Jakhoda, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [442683] [DEIAA] (TOR).**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Akash Singh Adivashi एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक का नाम व पता	Shri Akash Singh Adivashi, lease owner, R/o- Village- Sirol Farm No.05 Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P.)-475110,	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1816 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Jakhauda, Tehsil-Ghatigaon, District- Gwalior, Madhya Pradesh	
लीजस्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7891/31/2022 दिनांक 23/06/2023 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैगस्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू.अल. आई. डी-26912/2021/1352, ग्वालियर दिनांक 21/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 8.217 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू.अल.आई.डी-26912/2021/1352 ग्वालियर दिनांक 21/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र रिथ्त नहीं है एवं 250 मीटर मे वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू.अल.आई.डी-26912/2021/1352 ग्वालियर दिनांक 21/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/ सार्वजनिक भवन/ शामशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	चूंकि प्रकरण बी—1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ने ईआईए रिपोर्ट के साथ ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करने का कथन दिया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में पेड़ दिख रहे हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—आबादी लगभग 62.0 मी पर पूर्व दिशा— तालाब 608 मी पर पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला 472 मी पर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक क्यू.अल. आई. डी-26912/2021/1352 ग्वालियर दिनांक 21/08/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्वोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
16. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
17. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिह्नित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।

18. Case No.11100/2023 SHRI ANSHU CHOUHAN, R/o Village Jambura, Tehsil & District -Ujjain (MP)-471901 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 311), Village-Gunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [451443] (TOR)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक अंशु चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अंशु चौहान पत्नि श्री रामेवर चौहान निवासी— ग्राम जम्बुरा, तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	311 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टरे भासकीय भूमि	hectare.
स्थल	ग्राम गुनाईखालसा, तहसील व जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 16003–15/खनिज/न.क 01/उ.प्र. /2021, दिनांक 25.11.2021 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 15 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 45.00 है. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 5 ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 50
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – अन्य खदाने हैं
	दक्षिण दिशा – लीज के पास मे हॉल रोड जा रही है
	पश्चिम दिशा – अन्य खदाने हैं

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
16. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

17. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
25. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
26. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

19. Case No.11121/2023 Shri Radha Mohan, Owner, R/o House No. 232, Purana Thana Road, Gram-Jamner, Tehsil-Maksoondangarh, District-Guna (MP)-473287, Prior Environment Clearance for Motipur Stone Mine in an area of 4.00 ha. (42180 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Motipur, Tehsil-Maksoodangarh, District-Guna (MP) [450949] [DEIAA] (TOR)

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

20. Case No.11115/2023 Shri Rakesh Kumar Mangal S/o Shri Ramnivash Mangal, Partner, M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, R/o Sarmathura, District-Dholpur (RJ)-328021, Prior Environment Clearance for Rafatpura Stone Quarry in an area of 0.840 ha. (14421 cum per year) (Khasra No. 136/2), Village-Rafatpur, Tehsil-Pichhore, District-Gwalior (MP) [447699] [DEIAA] (TOR)

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Year wise details of minerals already excavated till date should be submitted with EIA report.
2. Compliance of consent conditions of M. P. Pollution Control Board from concerned Regional Office.
3. Level of mechanization should be discussed in the EIA report.
4. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed.
5. Status of all court cases (with summary of all the directions and compliances made) issued by honourable Courts.
6. A list of all the mines located in the Billaua, Rafadpur and Chirpura cluster along with their lease area, lease period, existing production, proposed production as per approved mine plan, production for which the EC is desired (Form 1), available minable reserve, proposed ultimate depth, post mining land use, details of crusher if located within the lease area, if crushing is done outside the lease area its location and details, details of any habitation, water body, road, school, or hospital or any other public place within 500 m of the cluster.
7. A satellite Image of the area showing all the mines and crusher located in the cluster, mineral evacuation route, all important features like water body, habitation, roads, industry and other mines etc located within 5 km radius of the cluster.
6. A surface plan of the entire cluster area (contour interval not more than 3.0 m) with maximum and minimum RL of each mine of cluster.
7. Air pollution control measures adopted by each mine and crusher in the cluster.
8. An evacuation plan for entire cluster with evacuation route shown on a map, location of school, hospital, habitation etc falling on the route should also be shown on the map. The plan should also include the type and condition of the road and a justification that road network is adequate to evacuate the proposed production from the cluster.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

9. Ambient Air Quality Monitoring on following locations be conducted for one season:-
 - (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
 - (b) Two monitoring station one each at main evacuation road and Billaua village road.
 - (c) Three monitoring station i.e. one at windward direction and two at leeward direction.
 - (d) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.
 - (e) One monitoring station close to water body i.e. Udalpara Tal.
10. Furnish the name and production of the each mine within 01 kms radius that were in operation during the base line data collection.
11. Photography and Videography should also be done during collection of baseline data.
12. Noise Monitoring on following locations be conducted for one season :-
 - (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
 - (b) Two monitoring station one each at Naktapata square and nearby water body.
 - (c) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.
13. Discuss in EIA report the present scenario of OB management with locations of OB dump marked on map, measures taken for stabilization of dump, photographs of OB dump and proposed OB management plan for entire cluster.
14. Provide information regarding mine wise requirement of water, mine wise source of water and total water requirement of entire cluster.
15. A blast induced ground vibration and air over pressure study for the mines located within 500 m of any dwellings or any other important structure. The study should clearly recommend a site specific square root predictor equation for determining the maximum charge/delay that can be safely used.
16. A drainage plan for entire cluster and surface run off management plan.
17. Hydrological studies be carried out to address the impact of existing mining activities on ground water. The report shall clearly mention the maximum depth up to which mining can be allowed in the cluster without

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

causing any adverse impact on ground water and extent up to which mining can be allowed near surface water body.

18. Proposed plantation scheme and If plantation is proposed outside the lease area also, commitment of district administration is also required.
19. Public consultation be conducted as per EIA Notification, 2006.
20. In addition to EMP for entire cluster in the EIA report a site specific EMP for each mine should also be prepared and submitted separately.
21. Provide details of court cases/ litigations pending, if any.
22. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
23. Carbon footprint.
24. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
25. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
26. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
27. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
28. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
29. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
30. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
31. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

32. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
33. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
34. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
35. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
36. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
37. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
38. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
39. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
40. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
41. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
42. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
43. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
44. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू—जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. Case No.11120/2023 Shri Nand Sharma, Lessee, R/o 80, Sajan Mill Road, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001. Prior Environment Clearance for Banjali Stone Mine in an area of 1.00 ha. (8550 cum per year) (Khasra No. 136/1/1/1), Village-Banjali, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [450444] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024. को परियोजना प्रस्तावक Shree Nandkishore Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shree Nandkishore Sharma, Proprietor, R/o-80 Sajjan Mill Road, Ratlam Dist.- Ratlam (M.P)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	136/1/1/1	1.00 Ha.
स्थल	Village - Banjali, Tehsil - Ratlam, District - Ratlam, State - Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रतलाम का पत्र क्रमांक 1261 / खनिज/2017–18 रतलाम, दिनांक 16/02/2018 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 1628 दिनांक 29/06/18 के द्वारापत्थर-8550 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर- 8550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 2376 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 08 खदान स्वीकृत है, जिनका रकबा 8.40 है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 2376 दिनांक 27/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2376 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संरथान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/ नाला नहीं है ।	
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत, बंजली के ठहराव प्रस्ताव 03 क्रमांक-129 दिनांक 06/11/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में पेड़ दिख रहे हैं।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ; खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों .	उत्तरदिशा—पक्की सड़क 168 मी. की दूरी पर स्थित है । दक्षिणदिशा—श्रीबालाजी पाइप इंडस्ट्री 50 मी. की दूरी पर स्थित है । पूर्वदिशा—वाटरबॉडी 290 मी. की दूरी पर स्थित है । पश्चिम दिशा—आबादी (नंदलई) 780 मी. दूरी पर स्थित है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-8 के सरल क्रमांक-44 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
- 23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
- 24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
- 25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
- 26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- 27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
- 28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
- 29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- 32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
36. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
37. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
38. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें ।
39. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

22. Case No.11119/2023 Shri Pawan Patidar, Lessee, Yash Nagar, District-Mandsaur (MP)-458001, Prior Environment Clearance for Arniya Meena Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 1/2), Village-Arniya Mina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP) [449538] [DEIAA] (TOR)

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

23. Case No.11096/2023 SHRI AKHILESH SARASWAT, R/o Village- Balaji Mandir Ke Pass, Kityani, District- Mandsaur (MP)-458001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.65 ha. (35280 cum per year) (Khasra No. 1/2), Village-Arniyamina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP) [449298] [DEIAA] (TOR)

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

24. Case No.11117/2023 Shri Brijesh Gupta, Owner, R/o Niwasi-Jhansi Road, Balla ka Dera, District-Gwalior (MP)-475110, Prior Environment Clearance for Gangapur Crusher Stone Quarry in an area of 1.563 ha. (300000 cum per year) (Khasra No. 234/3), Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [449823] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक अनिल राठौर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अनिल राठौर पिता श्री कडू राठौर निवासी – जैनाबाद तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. 159/2 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	क्षेत्रफल –1.90 हेक्टेयर Revised Area – 1.30ha
स्थल	ग्राम – मोरदडखुर्द तहसील – बुरहानपुर जिला – बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 6412/खनिज/2017 बुरहानपुर दिनांक 13/09/2017 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का	डिया बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/8871/खनिज/2017 बुरहानपुर दिनांक	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

विवरण (यदि लागू हो)	29 / 12 / 2017 के द्वारा पत्थर – 10260 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10260 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10260 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1041/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुखपुरी जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/07/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—08 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफस ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शायें।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्णभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
36. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लान्ट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
38. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
39. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू—जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. पूर्व दिशा में स्थित जल निकाय क्षेत्र को सुरक्षित करने के उपाय प्रस्तुत करें।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठौर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

25. Case No.11101/2023 SMT. LAXMI RATHORE, R/o makan no-43, Ward no-23, Teliya ki sadak, Ramgarh, District- Ratlam (MP)-457001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (5130 cum per year) (Khasra No. 3/1/1/1), Village-Sanwaliyarundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [450563] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक लक्ष्मी कांत राठौड़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक का नाम व पता	Shri Laxmikant Rathoure S/o Shri Ganpat Rathour, lease owner, R/o-44, Ramgarh, Taliyon Ki Sadak, Ratlam District- Ratlam (M.P), Pin Code- 457001	
खसरानं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(Old Khasra no-3/1/1/1, and 3/2- New Khasra no.) (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare
स्थल	Village-Sanwaliyarundi, Tehsil- Ratlam, Dist.- Ratlam, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकीतथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7310-12/खनिज/उ.प./न. क्र. 13/2022 भोपाल, दिनांक 25/05/22 द्वारास्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	क्रमांक / 253 / डिया डेक / 2016– 17 रतलाम, दिनांक 31.05.2016
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 5130 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—5130 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 500 / खनिज / 2023–24 रतलाम दिनांक 10/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 29.0 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक 2500 / खनिज / 2023.24 रतलाम दिनांक 10/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2500 / खनिज / 2023.24 रतलाम दिनांक 10/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा के ग्राम सांवलिया रुंडी, तहसील व जिला रतलाम प्रस्ताव दिनांक 18/08/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में एक भी पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तरादिशा—282 मीटर पर पक्का रोड है
	दक्षिणादिशा—सगोडिया नाला 317 मीटर पर है
	पूर्वादिशा—82 मीटर पर कच्चा रोड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रतलाम के पेज नं. 22 के क्रमांक. 32 पर अंकित है।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये ।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये ।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे ।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
36. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

37. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
38. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
39. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठौंर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

26. Case No.11095/2023 SHRI SUNIL YADAV, R/o Village Madhopur Railway station road ,Runija ,Tehsil Badnagar,District -Ujjain (MP)-456776 Prior Environment Clearance for Murum Mine in an area of 2.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 666), Village-Bardiya, Tehsil-Badnagr, District-Ujjain (MP) [444529] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक सुनिल यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	सुनिल यादव पिता श्री सुरेशचन्द्र यादव निवासी— ग्राम माधोपुरा रेल्वे स्टेन, रोड, रुनिजा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन म.प्र.		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	666 (नॉन फॉरेस्ट लॅंड)	2.00 हेक्टरेर	hectare.
स्थल	ग्राम बरडिया, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 9920-27 / खनिज / उ.प्र. / न.क 01 / 2023, दिनांक 03.08.2023 के		

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10283/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 5.80 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10283/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 10283/खनिज/2023–24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अम ान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरडिया, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु/एल/पंचा. दिनांक 11.03.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – अन्य खदाने हैं एवं हॉल रोड है 380 meter पर देवनारायण गौशाला स्थित है पूर्व दिशा – हॉल रोड है

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

1. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
2. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. लीज क्षेत्र का ड्झोन सर्वे/विडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
9. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
10. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
12. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
15. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शाते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

16. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 17. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 18. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
 19. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 20. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 21. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
 22. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू—जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 23. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 24. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
 25. लीज क्षेत्र पहाड़ी पर है। अतः सरफेस वाटर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करें।
 26. ईएमपी में चैनलिंग फॉन्सिंग का प्रस्ताव बजट के साथ शामिल करें।
-
27. **Case No. 10886/2023 Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.). Prior Environment Clearance for Balabhet 1 Sand Mine in an area of 5 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Balabhet, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) [447141].**
प्रस्तावित रेत खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह, खनिज अधिकारी श्री देवेश मरकाम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लॅंड)	5.00 hectare.
स्थल	VILLAGE - BALABHET 1, TEHSIL - MAKHANNAGAR & DISTRICT - NARMADAPURAM (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
टॉर	सिया द्वारा दिनांक 07-12-2023 के द्वारा ऑनलाइन स्टेप्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-54,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 74.843 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815 दिनांक 03/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सॉसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चपलासर जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/11/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-8 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम्

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

उत्पादन क्षमता रेत—54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.39 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बालाभट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	10,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में रथल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	5000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

<ul style="list-style-type: none"> ✓ स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। 	<p>टीप: वृक्षरोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>
--	--

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No. 10915/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Pawarkhedakhurd-2 Sand Mine in an area of 18.00 ha. (3,24,000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Pawar Kheda Khurd, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP) [447451]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह, खनिज अधिकारी श्री देवेश मरकाम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1/1(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	18.00 hectare.
स्थल	Village Pawar Kheda Khurd Tehsil Babai District Narmadapuram (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
टॉर	सिया द्वारा दिनांक 08-12-2023 के द्वारा ऑनलाईन स्टेप्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—3,24,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 831 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 52.656हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 831 दिनांक 03/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 831 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पावरखेड़ा खुर्द जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—13 के सरल क्रमांक—83 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.79 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
ग्राम पवारखेड़ाखुर्द के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
कुल	1,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 21600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	18,000

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

<input checked="" type="checkbox"/>	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्ध लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. 10923/2023 Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 54.00 ha. (9,72,000 cum per annum) (Khasra No. 1/1) VILLAGE - PAHANVARRI, TEHSIL - ITARSI & DISTRICT - NARMADAPURAM (M.P.).

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 25.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह, श्री देवेश मरकाम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1/1(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	54.00 hectare.
स्थल	VILLAGE - PAHANVARRI, TEHSIL - ITARSI & DISTRICT - NARMADAPURAM (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
टॉर	सिया द्वारा दिनांक 12.12.2023 के द्वारा ऑनलाईन स्टेप्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—9,72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—9,72,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 873 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 99.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 873 दिनांक 03/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 873 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पाहनवर्री जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 01. 10.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—14 के सरल क्रमांक—92 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 9,72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 61.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 12.80 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम पाहनवर्री के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम पाहनवर्री के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000
ग्राम पाहनवर्री में खेल मैदान हेतु	1,00,000
कुल	3,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 64,800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारे पर रोपण किया जावेगा :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी टट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	10,800
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	54,000

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

<input checked="" type="checkbox"/>	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
<small>टीप:</small>	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार सख्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. 10932/2023 Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 22.5 ha. (4,05,000 cum per annum) (Khasra No. 124,125) Village GWARI KALAN-1 Tehsil Itarsi District Hoshangabad (M.P.)

प्रस्तावित रेत खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह, खनिज अधिकारी श्री देवेश मरकाम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवेस्टर्स मेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, AUTHORIZED PERSON, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	124,125 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	22.5 hectare.
स्थल	Village GWARI KALAN-1 Tehsil Itarsi District Hoshangabad (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक एफ—19—2—2019—बारह—1पार्ट—6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
टॉर	सिया द्वारा दिनांक 12/12/2023 के द्वारा ऑनलाईन स्टेपर्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—4,05,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4,05,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 881 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 88.70. हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 881 दिनांक 03/07/23 अनुसार रेत खदान से 10 किलोमीटर की परिधि में सतपुड़ा रिजर्व टाईगर क्षेत्र आता है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 881 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्वारी कलां के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/1/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—14 के सरल क्रमांक—95 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—4,05,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 29.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.80 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
बालाभट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000
ग्राम ग्वाड़ीकला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000
कुल	2,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 27,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारे पर रोपण किया जावेगा :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, कराँदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	4,500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	22,500

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

<input checked="" type="checkbox"/>	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
<input checked="" type="checkbox"/>	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No. 7441/2020 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58 Phase -2 Jai Shakti Homes Narmada Wila Ward No. - 32, Distt. - Harda (M.P.). 461331, Prior Environment Clearance for KOYLARI SAND QUARRY in an area of 5.260 ha. (78,900 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Koylari, Tehsil – Chandia, District- Umaria (M.P.),

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri GAYAPRASAD ANJNE, Authorized Signatory, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मे.0. कियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58 Phase -2 Jai Shakti Homes Narmada Wila Ward No. - 32, Distt. - Harda (M.P.). 461331, Prior Environment Clearance for KOYLARI SAND QUARRY in an area of 5.260 ha. (78900 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Koylari, Tehsil – Chandia, District- Umaria (M.P.),	SIA/MP/MIN/470103/2024.
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.— 01, एरिया — 5.260 हे.	शासकीय
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC,	
परियोजना स्थल	Village - Koylari, Tehsil – Chandia, District- Umaria (M.P.),	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

परियोजना श्रेणी	बी—1 श्रेणी,
टॉर विवरण	<p>Case No. - 7441/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, DIst. Bhopal, MP - 462016, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.260 ha. (78900 cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Koylari, Tehsil - Chandia, Dist. - Umariya (MP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ToR Recommended in 452nd SEAC Meeting Dated 27/08/2020. ➤ ToR letter issued by letter no. 566/SEAC/Bhopal dated 06/10/2020. ➤ Ammended ToR Recommended in 838th SEIAA Meeting Dated 12/03/2024 & 841th SEIAA Meeting Dated 28/03/2024. ➤ Online ToR Ammended letter issued dated 16/04/2024.
Description of Project	It is a B1 Category ToR Transfer River Sand Quarry Project On Umrar River, spread over an area of 5.260 ha., Located at Survey No. 01 in Village Koylari, Tehsil Chandia District Umariya Madhya Pradesh. The lease area is non-forest government occupied revenue land. The mining operation will be carried out by manual as well as semi mechanized method and help of small mining machinery such as small loading machine dumper, tipper tractor for loading and transportation
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31 / 05 / 2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि यह खदान <u>उमरार नदी</u> में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के लगभग 3.69 है. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा।
डिया ई.सी. रिथिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 78, 900 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और सिया द्वारा जारी टोर अनुसार रेत – 78, 900 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकम 6.822 होता है, अतः प्रकरण बी. – 1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जौन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 11/08/2023 अनुसार अनुसार आवेदित क्षेत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।</p> <p>➤ खनि. निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक</p>

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

	17/07/2023 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता— 80 मी. एंव नाला 40 मी. की दूरी पर स्थित है। आवेदित क्षेत्र रेत खदान हेतु उमरार नदी के रूप में स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कोयलारी जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.01.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 13 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- सिया द्वारा जारी टोर अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 78,900 मी³ प्रति वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 10.52 लाख प्रति वर्ष।
- खनन् क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Fund for infrastructure development for Primary School at Village Koyalri Dist Umariya (MP)	1.00

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

Fund for infrastructure development for Primary Health centre at Village Koyalri Dist Umariya (MP)	0.50
--	------

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5100 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Along the river bank	Khas slip, Nagarmotha, Katang bans, Jamun, Arjun, Pipal, Karanj and other local species etc Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1100
2	Village distribution	Imli, Anwala, Leman, Mahua, Bel, Mango and other local species etc.	4000
		Total	5100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. **Case No. 7447/2020 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58 Phase -2 Jai Shakti Homes Narmada Wila Ward No. - 32, Distt. - Harda (M.P.). 461331, Prior Environment Clearance for KOYLARI SAND QUARRY in an area of 5.260 ha. (95,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Govarde, Tehsil – Chandia, District- Umaria (M.P.),**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri GAYAPRASAD ANJNE, Authorized Signatory, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मे.0. कियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58 Phase -2 Jai Shakti Homes Narmada Wila Ward No. - 32, Distt. - Harda (M.P.). 461331, Prior Environment Clearance for GOVARDE SAND QUARRY in an area of 9.50 ha. (1,33,000 TPA) Khasra No. - 566/1226 in Village - Govarde, Tehsil – Manpur, District – Umaria (M.P.), SIA/MP/MIN/470035/2024.	
परियोजना का खसरा नं. /एरिया	खसरा नं. 566/1226, एरिया – 9.50 हे.	शासकीय
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh EC,	
परियोजना स्थल	Village - Govarde, Tehsil – Manpur, District - Umaria (M.P.),	
परियोजना श्रेणी	बी-1 श्रेणी,	
टॉर विवरण	<p>Case No 7447/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 9.50 ha. (95000 cum per annum) (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (M.P.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ToR Recommended in 452nd SEAC Meeting Dated 27/08/2020. ➢ ToR letter issued by letter no. 572/SEAC/Bhopal dated 06/10/2020. ➢ Amended ToR Recommended in 838th SEIAA Meeting Dated 12/03/2024 & 841th SEIAA Meeting Dated 28/03/2024. ➢ Online ToR Ammended letter issued dated 16/04/2024. 	
Description Project	It is a B1 Category ToR Transfer River Sand Quarry Project On Son River, spread over an area of 9.50 ha., Located at Survey No. 566/1226 in Village Govarde, Tehsil Manpur District Umaria Madhya Pradesh. The lease area is non-forest government occupied revenue land. The mining operation will be carried out by manual as well as semi mechanized method and help of small mining machinery such as small loading machine dumper, tipper tractor for loading and transportation	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सोन नदी में स्थित है,	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,33,000 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और सिया द्वारा जारी टोर अनुसार रेत – 95,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 11/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकमा 9.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी. – 1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 11/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /इको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250	

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 11/08/2023 अनुसार अनुसार आवेदित क्षेत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।</p> <p>➤ खनि. निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता स्वीकृत रेत खदान से पहला रास्ता 330 मी. एवं दूसरा कच्चा रास्ता 190 मी. की दूरी पर स्थित है। आवेदित क्षेत्र रेत खदान हेतु सोन नदी के रूप में स्थित है।</p>
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत गोवर्द्धन जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28.09.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 13 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. सिया द्वारा जारी टोर अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 95,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 13.46 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Fund for infrastructure development for Primary School at Village Govarde Dist Umariya (MP)	1.00
Fund for infrastructure development for Primary Health centre at Village Govarde Dist Umariya (MP)	1.00

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Along the river bank	Khas slip, Nagarmotha, Katang bans, Jamun, Arjun, Pipal, Karanj and other local species etc Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1600
2	Village distribution	Imli, Anwala, Leman, Mahua, Bel, Mango and other local species etc.	5600
		Total	7200
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को—चेयरमेन

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the ‘Gram Panchayat’.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carried out and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of pochans and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m in the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्झनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

- n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 25अप्रैल 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मलिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दार्श-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फैसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

741वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 25अप्रैल 2024

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन मार्गिनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आशयकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, मङ्गुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पक्कियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियां, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई च्वावदम रतममकपदह अद्वितीय अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।